



यूजेवीएन लिमिटेड UJVN Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कारपोरेट एवं पंजीकृत कार्यालय

Corporate & Regd. Office

"उज्जवल" महारानीबाग, जी0एम0एस0रोड, देहरादून-248 006

"Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248006

दूरभाष- 0135-2763508 फैक्स सं0 0135-2763507

Phone- 0135-2763508, Fax-0135-2763507

मानव संसाधन विभाग,

Human Resources Department.

"यमुना भवन" यमुना कालोनी, देहरादून-248 001

"Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun-248001

दूरभाष- 2530584 / 2531343 / 2530909 फैक्स सं0 0135-2531646

Phone- 2530584/2531343/2530909, Fax-0135-2531646

संख्या : 4073/यूजेवीएन लि/05/कार्मिक/अनु0-3/एम-4

दिनांक 04.09.17

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, निगम के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3914/यूजेवीएन लि/05/कार्मिक/अनु0-3/एम-4 दिनांक 06.07.2015 के अनुक्रम एवं डा0 भरत पाटिल के पत्र सं0 शून्य दिनांक शून्य द्वारा दी गई लिखित सहमति के क्रम में पाटिल डेन्टल क्लीनिक एण्ड डेन्टल इम्प्लान्ट सैन्टर, 206-बल्लुपुर रोड, देहरादून को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार में बाहय रोगी की हैसियत से कराये जाने वाले दंत उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक केवल 3(तीन) माह के लिये मान्यता विस्तारित की जाती हैं।

दिनांक 01.10.2017 से आगे की अवधि के लिये चिकित्सालय की मान्यता विस्तारित नहीं की जायेगी।

2. उक्त चिकित्सालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 8796/यूजेवीएन लि/05/कार्मिक/अनु0-3/एम-4 दिनांक 16.08.2013 के साथ संलग्न दर सूची में दर्शाई गई दरों पर 15 (पन्द्रह) प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा।
3. चिकित्सालय की मान्यता निम्न बिन्दुओं पर कभी भी समाप्त की जा सकती हैं एवं चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा प्रदत्त दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं पारित प्रतिबंधों/शर्तों का उल्लंघन करने पर मान्यता समाप्त किये जाने की सहमति (प्रारूप संलग्न) रु0 100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी।
 1. किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत का समाधान न होने पर।
 2. दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, किन्तु वह अस्पताल के बिल में सम्मिलित हैं। यह मान्यता का उल्लंघन माना जायेगा।
 3. अगर अस्पताल पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है, तो उसकी मान्यता तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।
 4. अगर किसी अस्पताल के विरुद्ध मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायत आती है, तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
 5. यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा निर्गत मान्यता सम्बन्धी आदेश की किसी भी बिन्दु की अवहेलना करने पर अस्पताल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

AShukla
04/09/17

निदेशक (मा0सं0)

ABEDU

Pl. upload on


website

SM-IT
5/9/17

संख्या: 4073/यूजेवीएन लि/05/कार्मिक/अनु0-3/एम-4, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून.
3. निदेशक (परिचालन)/ (परियोजनाएं)/ (वित्त)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/ (वि0/या0)/ (वित्त)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
7. उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
9. वरिष्ठ प्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।
10. डा0 भरत पाटिल, पाटिल डेन्टल क्लीनिक एण्ड डेन्टल इम्प्लान्ट सैन्टर, 206-बल्लुपुर रोड, देहरादून
11. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद-उत्तराखंड, 21-फील्ड होस्टल, उर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून
12. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति, फतेहपुर रोड, हरबर्टपुर (देहरादून)


(आशिष कुमार जैन)
उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)

